संख्या-21/2023/858/एक-1-2023-1-1099/3514/2020

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2023

विषयः-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-11/2021/928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक-26.10.2021 एवं शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 को आंशिक रूप से निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

निजी विश्व विद्यालय एवं निजी मेडिकल कालेज के निर्माण/स्थापना एवं अन्य प्रयोजन, जहॉ भूमि का मानक शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, के निमित्त विहित सीमा (5.0586 हे0) से अधिक किन्तु निर्धारित मानक की सीमा तक की बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी, इस हेतु मा0 राजस्व मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मा0 राजस्व मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त औपचारिक आदेश राजस्व विभाग से निर्गत किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश दिनांक 26.10.2021 एवं 23.12.2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 26.10.2021 एवं 23.12.2022 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।